दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित किया गया: 21 अप्रैल, 2023

निर्णय दिया गया: 8 मई, 2023

<u>ना.पु.या.-बौ.सं.प्र. संख्या 4/2023, सि.वि. सं. 48/2023 और सि.वि. सं. 49/2023</u>

यामिनी मनोहर ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री जे साई दीपक के साथ सुश्री श्रद्धा चिरानिया, श्री कर्तिकेय भट्ट और श्री आर. अभिषेक, अधिवक्तागण के साथ।

बनाम

टी के डी कीर्ति ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री कुणाल खन्ना, सुश्री व्रिधि पसरीचा और श्री प्रकाशा वालिया, अधिवक्तागण।

कोरमः

माननीय श्री न्यायाधीश अमित बंसल

<u>निर्णय</u>

1. वर्तमान पुनरीक्षण याचिका 6 फरवरी, 2023 को जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय)-1, दक्षिणी जिला, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश पर आधारित है, जिसमें याचिकाकर्ता/प्रतिवादी की ओर से सिविल

प्रक्रिया संहिता, 1908 (सि.प्र.स.) के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

2. जिस मुकदमे के द्वारा वर्तमान याचिका उत्पन्न होती है, वह ट्रेडमार्क के उल्लंघन को रोकने और अन्य सहायक राहतों के साथ पारित करने के लिए मुकदमें का स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए दायर किया गया था। अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए मुकदमा सि. प्र. स. के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत एक आवेदन और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12क के अनुपालन से छूट की मांग करने वाले एक आवेदन के साथ मुकदमा दायर किया गया था।

3. याचिकाकर्ता/प्रतिवादी ने सि.प्र.स. के आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें शिकायत अस्वीकृत करने की मांग की गई क्योंकि वादी वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा जो वाणिज्यिक मुकदमा दायर करने से पहले पूर्व-संस्थान मध्यस्थता को अनिवार्य करता है।

4. वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता का मामला यह था कि सि.प्र.स. के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत केवल आवेदन दायर करने से वादी को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क के तहत अनुपालन से छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। इस

संबंध में ***पाटिल स्वचालन (पी) लिमिटेड बनामराखीजा इंजीनियर्स (पी) लिमिटेड,*** 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1028 मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया है।

5. वाणिज्यिक न्यायालयों के समक्ष प्रत्यर्थी/वादी द्वारा स्थापित मामला यह था कि बौद्धिक संपदा एकपक्षीय संबंधित मामलों में, एकतरफा और अंतरिम चरण सहित अंतरिम निषेधाज्ञा पर राहत अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि बौद्धिक संपदा एकपक्षीय संबंधित मामले न केवल वादी के लाभ के लिए हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए भी हैं। वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी/वादी ने एक विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश देने के लिए वैध आधार बनाए थे।

6. प्रत्यर्थी/वादी के इस निवेदन से सहमति जताते हुए कि बौद्धिक संपदा मामलों में एक विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा का अनुदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थी/वादी के मुकदमे में याचिकाकर्ता/प्रतिवादी के खिलाफ तत्काल अंतरिम राहत पर विचार किया गया है, वाणिज्यिक न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मुकदमा दायर करने से पहले वादी को पूर्व-संस्थान मध्यस्थता से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं थी और इस मुकदमा, सि.प्र.स. के आदेश VII नियम 11 के तहत याचिकाकर्ता/प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था। वाणिज्यिक न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

"8. बौद्धिक संपदा मामलों में देखे गए अनुभव के अनुसार, अंतरिम चरण के दौरान भी अंतरिम निषेधाज्ञा की राहत, बेहद महत्वपूर्ण है। वर्तमान मामले में, वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ अपने ट्रेडमार्क लाइफ इम्प्रेशन के ट्रेडमार्क, पासिंग ऑफ, अनुचित व्यापार प्रतिस्पर्धा, खाते का प्रतिपादन, हर्जाना, डिलीवरी आदि के उल्लंघन को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा हेतु 26.03.2022 को मुकदमा दायर किया है। कथित मुकदमे के साथ अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए खंड 39 नियम 1 और 2 के साथ पठित धारा 1 51 सि.प्र.स. के तहत एक आवेदन भी था। इसे ध्यान में रखते हुए ***पूर्वगामी चर्चा और विशेष मुकदमा से, जब वादी के मुकदमे में प्रतिवादियों के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए तत्काल अंतरिम राहत पर विचार किया गया था, तो वादी को पहले पूर्व-संस्थागत मध्यस्थता से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं थी।*** *वादी की अस्वीकृति के लिए यू/ओ 7 नियम 11 सि. प्र. सि. द्वारा दायर प्रतिवादी का आवेदन किसी भी गुण से रहित है और इसे दो सप्ताह के भीतर वादी को देय 5,000/- रुपये के खर्च के साथ खारिज कर दिया जाता है। उक्त आवेदन का तदनुसार निपटारा किया जाता है।"*

7. वर्तमान पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित आधारों पर उपरोक्त आदेश पर आरोप लगाते हुए दायर की गई है:

i. विवादित आदेश ***पाटिल स्वचालन*** (उपरोक्त) मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुरूप नहीं है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12क के संदर्भ में पूर्व-संस्थान मध्यस्थता का अनिवार्य अनुपालन होना चाहिए।

ii. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क के तहत तत्काल अंतरिम राहत पर विचार को वादी के विवेकाधिकार पर नहीं छोड़ा जा सकता है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क में इन शब्दों का उपयोग किया गया है '*मुकदमे के संबंध में किसी भी तत्काल अंतरिम राहत* पर विचार किये गयें। इसलिए, न्यायालय को यह आकलन करने के लिए अपना दिमाग लगाना होगा कि क्या वाद और अंतरिम राहत के लिए आवेदन एक तत्काल राहत पर विचार करता है जिसके लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क के अनिवार्य प्रावधान को दरकिनार करने की आवश्यकता होगी।

iii. वाणिज्यिक न्यायालय यह निर्धारित करने में विफल रहा कि क्या वर्तमान मुकदमे में किसी तत्काल अंतरिम राहत पर विचार किया गया है और याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि बौद्धिक संपदा मामलों में, अंतरिम निषेधाज्ञा की राहत अत्यंत महत्वपूर्ण है।

iv. याचिकाकर्ता वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क के प्रावधानों की व्याख्या करने के मुकदमा सि.प्र.स. की धारा 80 (2) पर भरोसा करता है। सि.प्र.स की धारा 80 (2) के तहत, एक व्यक्ति अदालत से अनुमति लेने के बाद सि. प्र. सि. की धारा 80 (1) के संदर्भ में आवश्यक नोटिस भेजे बिना सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर

सकता है। इसलिए धारा 80 (2) के तहत इस मामले में अनुमति देने पर विचार करते समय, न्यायालय को इसे निर्धारित करते हुए अपने न्यायिक बौद्धिकता को लागू करना होगा कि मुकदमे में तात्कालिकता पर विचार किया गया है या नहीं। इस संबंध में ***ए. पी. बनाम राज्य पायनियर बिल्डर्स***, (2006) 12 एससीसी 119 मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया है।

8. इसके विपरीत, प्रतिवादी/वादी के वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

i. याचिकाकर्ता द्वारा ***पाटिल स्वचालन*** (उपरोक्त) मामले पर रखा गया भरोसा गलत है क्योंकि उक्त मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उन मामलों से संबंधित नहीं था जहां तत्काल अंतरिम राहत पर विचार किया गया था। अन्यथा, वर्तमान मुकदमा 5 मार्च, 2022 को दायर किया गया था और ***पाटिल ऑटोमेशन*** (उपरोक्त) में निर्णय केवल 20 अगस्त, 2022 के बाद दायर किए गए मुकदमों पर लागू था।

ii. ***चंद्र किशोर चौरसिया बनाम आर. ए. परफ्यूमरी वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड***, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 3529, इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने मुकदमा द्वारा स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि यह प्रश्न कि क्या किसी मुकदमे में कोई तत्काल राहत शामिल है या नहीं, पूरी तरह से वाद और वादी द्वारा मांगी गई राहत द्वारा निर्धारित

किया जाना है। अदालत इस तरह के अभिवचन को स्वीकार करती है या नहीं, यह वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क के तहत आवश्यकता को पूरा करने वाले वादी के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक नहीं है।

iii. ***बोल्ट टेक्नोलॉजी ओ. यू. बनाम उजॉय टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य*** 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 2639 अन्य एक ऐसा मामला जहां तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से बहुत मिलते-जुलते थे अन्य इस न्यायालय की एकल पीठ ने मुकदमे में दलीलों पर भरोसा मुकदमा हुए कहा कि उक्त मामले में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क के तहत पूर्व-संस्थान मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं थी।

iv. वर्तमान मामले के तथ्यों में, मुकदमा में तत्काल अंतरिम राहत देने पर विचार किया गया। प्रत्यर्थी/वादी ने 6 नवंबर, 2020 को याचिकाकर्ता को संघर्ष विराम नोटिस जारी किया और उसका कोई जवाब नहीं मिला। प्रत्यर्थी /वादी ने याचिकाकर्ता के ट्रेडमार्क आवेदन के खिलाफ विपक्ष का नोटिस भी दायर किया, जिस पर याचिकाकर्ता/प्रतिवादी ने एक जवाबी बयान दायर किया कि विपक्ष तुच्छ था। इन परिस्थितियों में, वादी ने तत्काल राहत की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था और इस मुकदमा, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की खंड 12क के तहत पूर्व-संस्थान मध्यस्थता द्वारा गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सि. प्र.

सि. की धारा 80 (2) में उपयोग की जाने वाली भाषा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क में उपयोग की जाने वाली भाषा से काफी भिन्न है। सि. प्र. सि. की धारा 80 (2) के विपरीत, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क के तहत, न्यायालय की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

9. मैंने प्रतिद्वंद्वियों की दलीले सुनी हैं।

10. प्रारम्भ में, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क की उप-खंड (1) का निर्देश दिया जा सकता है:

> ***"12क. पूर्व-संस्थान मध्यस्थता और निपटान--(1) एक मुकदमा, जो इसके तहत किसी भी तत्काल अंतरिम राहत पर विचार नहीं करता है।*** *इस अधिनियम की स्थापना तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि वादी केंद्र सरकार द्वारा बनाए नियमों द्वारा निर्धारित किए गए तरीके और प्रक्रिया के अनुसार संस्था-पूर्व मध्यस्थता के उपाय को समाप्त नहीं कर देता है।"*

11. उपरोक्त प्रावधान ***पाटिल स्वचालन*** (पूर्वोक्त) मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार का विषय था। उपरोक्त निर्णय की प्रासंगिक टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

> *"100.* ***हमारे समक्ष प्रस्तुत मामलों में, मुकदमों में तत्काल अंतरिम राहत पर बात नहीं करते हैं। जैसे कि उन मुकदमों में क्या होना चाहिए जो तत्काल अंतरिम राहत या बल्कि "चिंतन" या तत्काल अंतरिम राहत शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं, हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है*** *। "विचार" शब्द के बारे में उठाया गया दूसरा पहलू यह है कि धारा 12-क*

के तहत वैधानिक मध्यस्थता को दरकिनार करने का प्रयास यह तर्क देकर किया जा सकता है कि वादी तत्काल अंतरिम राहत पर विचार कर रहा है, जो वास्तव में, बिना किसी आधार के पाया जाता है। धारा 80 (2)सि. प्र. सि. मुकदमा दायर करने की अनुमति देती है जहां अदालत की अनुमति लेकर तत्काल अंतरिम राहत मांगी जाती है। ***धारा 80 (2) के परंतुक में विचार किया गया है कि न्यायालय, यदि पक्षों को सुनने के बाद, संतुष्ट हो जाता है कि मुकदमे में कोई तत्काल छुट या तत्काल राहत देने की आवश्यकता नहीं है और अनुपालन के बाद न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वाद को वापस कर दिया जाएगा । हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि धारा 12-क ऐसी प्रक्रिया पर विचार नहीं करती है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर कानून निर्माणकर्ताओं का ध्यान जा सकता है। एक बार फिर हम दोहराएँ कि ये ऐसे मुद्दे नहीं हैं जो हमारे विचार के लिए उत्पन्न होते हैं। मामलों के तथ्य में यह स्वीकार किया जाता है कि विचाराधीन वाद-विवाद में कोई तत्काल अंतरिम राहत पर विचार नहीं किया गया है।***

X X X

113. ***इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित तरीके से मामलों का निपटारा करेंगे:***

113.1. ***हम घोषणा करते हैं कि अधिनियम की धारा 12-क अनिवार्य है और यह मानते हैं कि धारा 12-क के अधिदेश का उल्लंघन करनेवाले वाले किसी भी मुकदमे को आदेश 7 नियम 11 के तहत अस्वीकृति के तौर पर देखा जाना चाहिए। अदालत द्वारा इस शक्ति का प्रयोग स्वप्रेरणा द्वारा भी किया जा सकता है जैसा कि फैसले में पहले बताया गया था। हालाँकि, हम इस घोषणा को 20-8-2022 से प्रभावी करते हैं ताकि संबंधित हितधारकों को पर्याप्त जानकारी मिल सके।***

113.2. फिर भी आगे, हम निर्देश देते हैं कि यदि दलीलों को पहले ही खारिज कर दिया गया है और अवधि के सीमा के भीतर कोई कदम नहीं

उठाया गया है, तो इस घोषणा के आधार पर पुन: मामले को नहीं खोला जा सकता है। इसके अलावा, यदि मुकदमे के अस्वीकृति के आदेश पर एक नया मुकदमा दायर करके पुन: कार्यवाही की गई है, तो संभावित प्रभाव की घोषणा से वादी को कोई लाभ नहीं होगा।

113.3. अंत में, यदि क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय द्वारा धारा 12-क को भी अनिवार्य घोषित करने के बाद धारा 12-क का उल्लंघन करते हुए शिकायत दायर की जाती है, तो वादी राहत का हकदार नहीं होगा।"

12. उपरोक्त अनुच्छेदों को पढ़ने से निम्नलिखित स्थिति सामने आती है:

(i) वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क के अनिवर्य प्रावधान प्रकृति में अनिवार्य हैं।

(ii) सि.प्र.स. के आदेश VII नियम 11 के तहत एक शिकायत को खारिज किया जा सकता है, अगर यह वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क के अधिदेश का पालन किए बिना स्थापित किया गया है। हालाँकि, यह 20 अगस्त, 2022 के बाद दायर किए गए मुकदमों के संबंध में होगा।

(iii) उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों में किसी भी तत्काल अंतरिम राहत पर विचार नहीं किया गया था और इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 'वाद' अभिव्यक्ति के अर्थ के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की। जहां तत्काल अंतरिम राहत की मांग की जाती है।

(iv) सि.प्र.स. की धारा 80 (2) और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क में उपयोग की जाने वाली भाषा के बीच अंतर है। सि.प्र.स.

की धारा 80 (2) के विपरीत, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क न्यायालय की अनुमति लेने पर विचार नहीं करती है।

13. ***चन्द्र किशोर चौरसिया*** (ऊपर) में, इसकी एक खण्ड पीठ अदालत ने इस अभिव्यक्ति की व्याख्या की, *'किसी भी तत्काल अंतरिम राहत पर विचार करें'* वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क में उपयोग किया गया। खण्ड पीठ के समक्ष मामले में, वाणिज्यिक न्यायालय ने प्रतिवादी के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि शिकायत को सि. प्र. स. के आदेश VII नियम 11 के तहत इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि मुकदमा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किए बिना दायर किया गया था। खण्ड पीठ के समक्ष, प्रतिवादी की ओर से एक तर्क उठाया गया था इसके निर्धारण में वादी एकमात्र निर्णयकर्ता नहीं हो सकता है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क के प्रावधान लागू हैं या नहीं, जैसा कि वर्तमान मामले में किया जाना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में न्यायालय ने इस अभिव्यक्ति पर विचार किया,'किसी भी तत्काल अंतरिम राहत पर विचार करें', जैसा कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क (1) में उपयोग किया गया है और निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

> *"33. **इस न्यायालय को यह प्रतिग्रहण भी मुश्किल लगता है कि एक वाणिज्यिक अदालत को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या यह निर्धारित करने के लिए एक मुकदमे में तत्काल अंतरिम राहत का मुकदमा किया जाना चाहिए था कि क्या यह वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम,***

2015 की धारा 12क (1) के प्रतिबंध से प्रभावित है। यह प्रश्न कि क्या कोई वादी कोई तत्काल राहत चाहता है, मुकदमा दायर करते समय केवल वादी द्वारा तय किया जाना है। न्यायालय तत्काल अंतरिम राहत के लिए ऐसे अनुरोध मान भी सकता है या नहीं भी मान सकता है। लेकिन यह निर्धारित करना प्रासंगिक नहीं है कि वादी को पूर्व-संस्थान मध्यस्थता के उपाय को समाप्त करने की आवश्यकता थी। यह सवाल कि क्या किसी मुकदमे में कोई तत्काल अंतरिम राहत शामिल है, इस बात पर निर्भर नहीं है कि न्यायालय अंतरिम राहत के मुकदमा वादी के अनुरोध को स्वीकार करता है या नहीं।

34. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12 (1) में उपयोग किए गए "किसी भी तत्काल अंतरिम राहत पर विचार करें" शब्दों का उपयोग किसी मुकदमे की श्रेणी को योग्य बनाने हेतु किया जाता है। यह पूरी तरह से शिकायत के ढांचे और मांगी गई राहत पर निर्धारित किया जाता है। वादी मुकदमे में दलीलों और मांगी गई राहत का एकमात्र निर्धारक है।

35. इस न्यायालय का विचार है कि यह प्रश्न कि क्या किसी मुकदमा में कोई तत्काल अंतरिम राहत शामिल है, पूरी तरह से अभियोक्ता द्वारा मांगी गई दलीलों और राहतों के आधार पर निर्धारित किया जाना है। यदि कोई अभियोक्ता कोई तत्काल अंतरिम राहत चाहता है, तो मुकदमे को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वादी ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12क (1) के तहत मध्यस्थता के पूर्व-संस्थान उपचार को समाप्त नहीं किया है।"

14. उपरोक्त टिप्पणियों को पढ़ने से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि क्या किसी मुकदमे में कोई तत्काल अंतरिम राहत शामिल है, यह पूरी तरह से वादी द्वारा मांगी गई दलीलों और राहतों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि कोई वादी तत्काल अंतरिम राहत चाहता है, तो वाणिज्यिक न्यायालय

अधिनियम की धारा 12क के प्रावधानों का पालन न करने के आधार पर मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता है। खण्ड पीठ ने आगे कहा कि क्या किसी मुकदमे में कोई तत्काल अंतरिम राहत शामिल है, यह इस बात पर निर्भर नहीं है कि अदालत अंतरिम राहत के मुकदमा वादी के अनुरोध को स्वीकार करती है या नहीं। इसलिए, जो देखा जाना चाहिए वह है वाद में दी गयीं दलीलें और वादी द्वारा मांगी गई राहतें ।

15. वर्तमान मामले के तथ्य ***बोल्ट प्रौद्योगिकी*** (पूर्वोक्त) में समन्वय पीठ के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों से बहुत मिलते-जुलते हैं। वर्तमान मामले की तरह, ***बोल्ट टेक्नोलॉजी*** (पूर्वोक्त) में वादी ने याचिकाकर्ता/प्रतिवादी को 6 नवंबर, 2020 को एक संघर्ष विराम नोटिस जारी किया था, जिसका कोई जवाब नहीं मिला था। प्रतिवादी के ट्रेडमार्क आवेदन के खिलाफ वादी द्वारा दायर विपक्ष के नोटिस के संबंध में, प्रतिवादी ने यह कहते हुए एक जवाबी बयान दायर किया कि विपक्ष का तर्क उथला था। इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, कोर्ट इन ***बोल्ट टेक्नोलॉजी*** (उपरोक्त) ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया:

> *"17. **बौद्धिक संपदा मामलों में देखे गए अनुभव के अनुसार, अंतरिम निषेधाज्ञा की राहत, जिसमें एकपक्षीय चरण और विज्ञापन अंतरिम चरण शामिल हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। इस तरह के मामलों में जो अदालत के समक्ष प्रतिस्पर्धा करने वाले पक्ष हैं उसमें ना केवल वादी और प्रतिवादियों का हित शामिल है, बल्कि विचाराधीन उत्पादों और सेवाओं के ग्राहकों/उपभोक्ताओं का हित भी शामिल होता है। बौद्धिक संपदा मामले** यह कई प्रकार के व्यवसायों से संबंधित है जैसे-दवाएं, तेजी से बिकनेवाले*

*अपभोक्ता वस्तुएं , खाद्य उत्पाद, वित्तीय सेवाएं, प्रौद्योगिकी, रचनात्मक कार्य जैसे किताबें, फिल्में, संगीत आदि। हाल के दिनों के रुझान की प्रवृति भी इंटरनेट पर बड़े पैमाने पर दुरुपयोग की ओर इशारा करते हैं। कुछ मामलों में, ज्ञात चिह्नों और ब्रांडों के दुरुपयोग के कारण, उपभोक्ताओं को बड़ी राशि के साथ अलग होने के लिए ठगा जा रहा है। पक्षों के अधिकार लगभग दैनिक आधार पर प्रभावित होते हैं क्योंकि निरंतर विनिर्माण, बिक्री और सेवाओं की पेशकश ग्राहकों के सामने की जाती है। **तत्काल अंतरिम राहत का दायरा जो प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है, अत्यंत विविध है और प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। इस तरह की राहत आमतौर पर अदालतों द्वारा न केवल वैधानिक और सामान्य कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए दी जाती है, बल्कि बाजार में भ्रम, धोखे, अनुचित और धोखाधड़ी प्रथाओं आदि से बचने के लिए भी दी जाती है।***

16. इन परिस्थितियों में, न्यायालय ने उपरोक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12 क की आवश्यकता दोनों मामलों पर संतुष्ट है अर्थात:

"i. सबसे पहले, वादी द्वारा एक सौहार्दपूर्ण समाधान का प्रयास किया गया था जिसे प्रतिवादियों द्वारा स्पष्ट तौर पर खंडित, अस्वीकृत और निन्दित किया गया था ।

ii. ***दूसरा, वादी ने इस न्यायालय के समक्ष तत्काल अंतरिम राहत की भी मांग की है और वह वर्तमान मुकदमे को बनाए रखने का हकदार है।"***

17. उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में, वर्तमान वाद में जिस बात की जांच की जानी है, वह यह है कि क्या वर्तमान वाद में वादी ने किसी तत्काल अंतरिम राहत पर विचार किया है या नहीं। इसे निर्धारित करने के लिए, शिकायत के प्रासंगिक भाग का संदर्भ दिया जा सकता है, जो नीचे दिया गया है:

"37. यह कि प्रतिवादी द्वारा एक समान चिह्न को अपनाना बेईमानी है और यह भारत तथा दुनिया भर में वादी के विशाल प्रतिष्ठा और सद्भावना को हड़पने की इच्छा द्वारा प्रेरित है। प्रतिवादी द्वारा एक समान चिह्न को गैरकानूनी रूप से अपनाने की गणना वादी की प्रतिष्ठा और व्यवसाय को नुकसान और चोट पहुँचाने और उसके जीवन अभिव्यक्तियों और चिह्न की विशिष्टता को कम करने के रूप में की जाती है। ***वादी द्वारा मेहनत से अर्जित प्रतिष्ठा के इस तरह हानि और नुकसान होने का कारण/ संभावना के कारण*** *मौद्रिक शर्तों में गणना करने में सक्षम नहीं है। इसलिए, प्रतिवादी को रोकने के लिए निषेधाज्ञा का तत्काल आदेश अनिवार्य है।*

18. वादी ने वाद के साथ प्रतिवादी के खिलाफ विवादित चिह्न का उपयोग करने के लिए सि. प्र. स. के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए एक आवेदन भी दायर किया है। उक्त आवेदन में भी यह अभिवचन दिया गया है कि वादी को एक ***अपूरणीय क्षति और हानि, जिसकी क्षतिपूर्ति मौद्रिक संदर्भ में तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि निषेधाज्ञा का तत्काल आदेश पारित नहीं किया जाता है।*** प्रतिवादी द्वारा भी वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क के प्रावधानों के पालन में एकपक्षीय छूट की मांग करते हुए एक आवेदन इस आधार पर दायर किया गया कि वादी प्रतिवादी के खिलाफ एकतरफा और अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग कर रहा है।

19. इन अभिवचनों के आलोक में, वाणिज्यिक न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादी द्वारा दायर मुकदमे में प्रतिवादी के खिलाफ तत्काल अंतरिम

राहत देने पर विचार किया गया था और इस मुकदमे में, वादी को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क (1) के तहत पूर्व-संस्थान मध्यस्थता के उपाय को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं थी।

20. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

21. सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया है।

न्या. अमित बंसल

08 मई, 2023
एटी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*